समयबद्ध/महत्वपूर्ण

संख्या : 2465/अड़तीस–7–2013–200नरेगा/2009

प्रेषक,

अरूण सिंघल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–7 लखनऊः दिनांक 06 सितम्बर, 2013

विषयः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अर्न्तगत कार्यों का सोशल आडिट किए जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 2245/अड़तीस–7–2012–200 नरेगा/2009 दिनांक 04–10–2012 द्वारा सोशल आडिट हेतु जनपद, विकास एवं ग्राम पंचायत स्तर पर सोशल आडिट टीमों के गठन आदि हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं। सम्यक् विचारोपरान्त उक्त शासनादेश के प्रस्तर–3 "ग्राम पंचायत स्तरीय व्यवस्था" के उप प्रस्तर–क से छ तक निम्नवत् संशोधित किया जाता है :–

<table>
<tr><th>शासनादेश दिनांक 04–10–2012 में दी गई व्यवस्था</th><th>संशोधित व्यवस्था</th></tr>
<tr><td>(क) सोशल आडिट टीम का गठन :–
ग्राम पंचायत स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक पांच सदस्यीय सोशल आडिट टीम गठित की जाएगी, जिसका कार्यकाल 31 मार्च, 2014 तक होगा। यदि किसी ग्राम पंचायत में पूर्व में सोशल आडिट टीम गठित है तो तात्कालिक प्रभाव से विघटित मानी जाएगी।

ग्राम पंचायत स्तर पर गठित की जाने वाली सोशल आडिट टीम में निम्न श्रेणी के सदस्य होंगेः–
<table>
<tr><th></th><th>श्रेणी</th><th>संख्या</th></tr>
<tr><td>1</td><td>सामान्य</td><td>एक</td></tr>
<tr><td>2</td><td>अन्य पिछड़ा वर्ग</td><td>एक</td></tr>
</table>
</td><td>(क) सोशल आडिट टीम का गठन :–
प्रत्येक विकास खण्ड में प्रति 10 ग्राम पंचायतों पर एक टीम के अनुपात में आवश्यकतानुसार सोशल आडिट टीमें गठित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक श्रेणी के दो–दो सदस्यों की रिजर्व सूची भी बनाई जाएगी ताकि गठित टीम में से यदि किसी श्रेणी का कोई सदस्य टीम से हटता है या अनुपस्थित हो जाता है तो रिजर्व सूची में से उसी श्रेणी के सदस्य को लेकर टीम को पूरा किया जा सके। उक्तवत् गठित सोशल आडिट टीमें निदेशक, सोशल आडिट अथवा उनकी अनुमति से जिला कार्यक्रम समन्वयक/जिलाधिकारी द्वारा यथानिर्दिष्ट, प्रति छमाही अधिकतम 10 ग्राम पंचायतों का सोशल आडिट कर सकेंगी।

टीम विकास खण्ड स्तर पर गठित की जाएगी। टीम की संरचना में सदस्यों की श्रेणी व संख्या पूर्ववत् रहेगी।</td></tr>
</table>

3	अनुसूचित जाति/ जनजाति	एक
4	महिला	एक
5	श्रमिक	एक (जॉब कार्ड धारक जिसके द्वारा मनरोगान्तर्गत एक वर्ष में कम से कम 15 दिन का कार्य किया गया हो)

(ख) शैक्षिक अर्हता :–

सदस्य के रूप में चयन हेतु न्यूनतम अर्हता हाईस्कूल उत्तीर्ण होगी। श्रमिक के सदस्य के रूप में चयन हेतु शैक्षिक अर्हता का प्रतिबन्ध नहीं होगा। अन्य सदस्यों हेतु हाईस्कूल उत्तीर्ण अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में चयन समिति शैक्षिक अर्हता को शिथिल कर सकती है।

ग्राम पंचायत स्तरीय समिति के सदस्य उसी ग्राम पंचायत के निवासी नहीं होंगे, वरन् सम्बन्धित न्याय पंचायत की अन्य ग्राम पंचायत के निवासी होंगे।

(ग) चयन समिति :–

(i)	जिलाधिकारी द्वारा नामित जनपद स्तरीय अधिकारी	अध्यक्ष
(ii)	जिलाधिकारी द्वारा नामित किसी कालेज/प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्था का प्रतिनिधि	सदस्य
(iii)	खण्ड विकास अधिकारी	सदस्य सचिव

(ड.) चयन प्रक्रिया

चयन हेतु आवेदन पत्र सम्बन्धित जनपद में सर्वाधिक प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कर 15 दिन के भीतर आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे। आवेदन पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तिथि के एक माह के अंदर चयन समिति द्वारा चयन प्रक्रिया पूर्ण कर ग्राम पंचायत स्तरीय समिति का गठन किया जायेगा।

(ख) शैक्षिक अर्हता :–

यथावत्।

सोशल आडिट टीम का सदस्य नामित होने हेतु अभ्यर्थी का उसी विकास खण्ड का निवासी होना आवश्यक होगा। टीम के सदस्य जिस गांव के निवासी होंगे, टीम द्वारा उससे भिन्न गांवों का सोशल आडिट कराया जाएगा।

(ग) चयन समिति :–

(i)	जिलाधिकारी द्वारा नामित जनपद स्तरीय अधिकारी	अध्यक्ष
(ii)	जिलाधिकारी द्वारा नामित किसी कालेज/प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्था का प्रतिनिधि	सदस्य
(iii)	जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर	सदस्य सचिव

(घ) चयन प्रक्रिया

वित्तीय वर्ष 2014–15 तथा उसके बाद के वर्षों के लिए टीमों के गठन हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पूर्ववर्ती माह दिसम्बर–जनवरी में सोशल आडिट निदेशालय द्वारा प्रदेश के समस्त जिलों हेतु एक साथ विज्ञापन दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाएगा। प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अन्दर आवेदन पत्र सम्बन्धित विकास खण्डों में ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर द्वारा तथा निदेशालय द्वारा निर्दिष्ट अन्य स्थानों पर प्राप्त किए जाएंगे। आवेदन पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तिथि से अधिकतम एक माह के अन्दर चयन समिति द्वारा चयन प्रक्रिया पूर्ण कर जिला कार्यक्रम समन्वयक के अनुमोदन से सोशल आडिट टीमों का गठन किया जाएगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश

	सोशल आडिट निदेशालय द्वारा यथासमय निर्गत किए जाएंगे। जिन विकास खण्डों में ग्राम पंचायत स्तरीय सोशल आडिट टीमों का आंशिक अथवा पूर्ण गठन हो गया है वहॉ उपर्युक्त पुनरीक्षित व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2014–15 से लागू होगी। जिन विकास खण्डों में सोशल आडिट टीमें आंशिक संख्या में कार्यरत हैं वहां आवश्यकतानुसार एक से अधिक ग्राम पंचायतों के सोशल आडिट का दायित्व इन्हीं टीमों को सौंपा जा सकता है। जिन विकास खण्डों में सोशल आडिट टीमें बिल्कुल ही गठित नहीं हैं उनमें सोशल आडिट टीमें नई प्रक्रिया के अनुसार 10 ग्राम पंचायतों पर एक सोशल आडिट टीम के अनुपात में गठित की जाऍगी। इस हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए विज्ञापन पूर्ववत् जिलाधिकारी द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2014–15 तथा उसके बाद के वर्षो के लिए टीमों के गठन हेतु सभी जिलों का सामूहिक विज्ञापन निदेशक, सोशल आडिट द्वारा प्रकाशित कराया जाएगा।
(च) कर्तव्य एवं दायित्व निर्दिष्ट ग्राम पंचायत में मनरेगा के अर्न्तगत कराए गए कार्यों का सोशल आडिट सम्पादित करना जिसमें निम्नांकित सत्यापन किया जाना सम्मिलित है :– (1) मस्टर रोल की प्रविष्टियों एवं एक निर्धारित समयावधि में किए गए भुगतानों का मजदूरी प्राप्त करने वाले व्यक्तियों, जिनका नाम मस्टर रोल में सम्मिलित हो, से सम्पर्क करके सत्यापन कराना। (2) मनरेगा के अर्न्तगत कराये गये कार्यों का स्थल पर सत्यापन करते हुए अभिलेखों के आधार पर मात्रा एवं कराए गए कार्यों की गुणवत्ता पर टिप्पणी करना। (3) रोकड़ बही, बैंक विवरण, बिलों, वाउचरों एवं अन्य वित्तीय अभिलेखों का परीक्षण कर वित्तीय सूचना प्रेषण का शुद्धता का सत्यापन करना। (4) सामग्री क्रय निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होने की पुष्टि हेतु सभी इनवॉयस, बिल वाउचर्स या अन्य संबंधित अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन करना। (5) मनरेगा स्कीम के अर्न्तगत प्राप्त निधियों में से कार्यकारी संस्थाओं द्वारा किए गए अन्य भुगतानों का सत्यापन करना।	(च) कर्तव्य एवं दायित्व निर्दिष्ट ग्राम पंचायत में मनरेगा के अर्न्तगत कराए गए कार्यों का सोशल आडिट सम्पादित करना जिसमें निम्नांकित सत्यापन किया जाना सम्मिलित है :– (1) मस्टर रोल की प्रविष्टियों एवं एक निर्धारित समयावधि में किए गए भुगतानों का मजदूरी प्राप्त करने वाले व्यक्तियों, जिनका नाम मस्टर रोल में सम्मिलित हो, से सम्पर्क करके सत्यापन कराना। (2) मनरेगा के अर्न्तगत कराये गये कार्यों का स्थल पर सत्यापन करते हुए अभिलेखों के आधार पर मात्रा एवं कराए गए कार्यों की गुणवत्ता पर टिप्पणी करना। (3) रोकड़ बही, बैंक विवरण, बिलों, वाउचरों एवं अन्य वित्तीय अभिलेखों का परीक्षण कर वित्तीय सूचना प्रेषण का शुद्धता का सत्यापन करना। (4) सामग्री क्रय निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होने की पुष्टि हेतु सभी इनवॉयस, बिल वाउचर्स या अन्य संबंधित अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन करना। (5) मनरेगा स्कीम के अर्न्तगत प्राप्त निधियों में से कार्यकारी संस्थाओं द्वारा किए गए अन्य भुगतानों का सत्यापन करना।

यदि निर्दिष्ट ग्राम पंचायत में मनरेगा के अर्न्तगत कराए गए कार्य बहुत कम हों तो किसी अन्य ग्राम पंचायत के मनरेगा कार्यों का सोशल आडिट भी सम्बन्धित एक ही टीम को सौंपा जा सकता है।	(6) परिसम्पत्तियों (व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर किए गए कार्यों सहित) की भौतिक स्थिति, गुणवत्ता एवं परिसम्पत्तियों की उपयोगिता के बारे में लाभार्थियों की संतुष्टि। (7) निर्धारित प्रारूप पर सभी जॉब कार्ड धारकों को दी गई धनराशि के ब्यौरे वालपेंटिंग में दर्शाए जाने की स्थिति एवं उसमें दिए गए विवरणों की ब्लाक तथा पंचायत स्तर पर रखे अभिलेखों एवं www.nrega.nic.in में दिए गए विवरणों से मिलान कर टिप्पणी करना।
(छ) मानदेय ग्राम पंचायत स्तर पर गठित समिति के प्रत्येक सदस्य को सोशल आडिट सम्पन्न कराने के लिए रू0 1000/– प्रतिवर्ष मानदेय देय होगा।	(छ) मानदेय प्रत्येक ग्राम पंचायत के सोशल आडिट के सम्यक् रूप से सम्पन्न होने पर टीम के प्रत्येक सदस्य को वर्तमान दरों के अनुरूप रू0 500.00 प्रति सोशल आडिट मानदेय देय होगा।

2– शासनादेश दिनांक 04–10–2012 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा शेष प्राविधान एवं शर्तें यथावत् लागू रहेंगे। कृपया तद्नुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अरूण सिंघल)
प्रमुख सचिव।

संख्या–2465(1)/अड़तीस–7–2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
2– अपर आयुक्त (मनरेगा)/रोजगार गारण्टी आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
3– निदेशक, सोशल आडिट, उत्तर प्रदेश।
4– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5– समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
6– समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,उत्तर प्रदेश।
7– समस्त संयुक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0, उ0प्र0।
8– बेव मास्टर, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9– गार्ड बुक।

आज्ञा से

(उमाकान्त पाठक)
अनु सचिव।